रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243266
CG-DL-E-27012023-243266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944
No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/ MAGHA 7, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 59(अ.).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-

(1) इन नियमों का नाम विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, उप-नियम (2) में, खंड (ग) में, उप खंड (क) के लिए, निम्नलिखित उप खंड रखा जाएगा अर्थात्:-

"(क) कोई उपभोक्ता खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक या इसकी पूरी खपत तक हरित ऊर्जा खरीदने का विकल्प चुन सकता है और वे इसके लिए अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास एक मांग रख सकते हैं, जो हरित ऊर्जा की

इस मात्रा की खरीद करेगा तथा इसकी आपूर्ति करेगा और उपभोक्ता के पास सौर तथा गैर-सौर के लिए पृथक मांग करने की तन्यता होगी"

3. उक्त नियम में, नियम 8 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थातः

"परंतु संगृहीत ऊर्जा के क्रेडिट को पश्चातवर्ती संग्रहण चक्रों में आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे उसी संग्रहण चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगाः

परंतु यह और कि, अप्रयुक्त अधिशेष संगृहीत ऊर्जा को प्रत्येक संग्रहण चक्र के अंत में व्यपगत माना जाएगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन व्यपगत संगृहीत ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।"

4. उक्त नियम में, नियम 9 में,

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः

"(1) हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ताओं पर लगाये जाने वाले प्रभार निम्नानुसार होंगे: अर्थात-

(क) पारेषण प्रभार;

(ख) व्हीलिंग प्रभार;

(ग) क्रॉस सब्सिडी अधिभार;

(घ) आपातोपयोगी प्रभार, जहां कहीं लागू हो;

(ङ) संग्रहण प्रभार; और

(च) अन्य शुल्क और प्रभार जैसे कि आयोग के संगत विनियमों के अनुसार भार प्रेषण केंद्र शुल्क और शेड्यूलिंग प्रभार, विचलन निपटान प्रभार।"

(ii) उप-नियम (2) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थातः

"परंतु यह भी कि खुली पहुंच उपभोक्ता को गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति किए जाने की स्थिति में क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि दिसंबर, 2025 तक आरंभ की जा चुकी अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और खुली पहुँच उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत के मामले में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।"

(iii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः

"(4) राज्य आयोग द्वारा, जहां कहीं लागू हो, आपातोपयोगी प्रभार विनिर्दिष्ट किया जाएगा और यदि हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी को 'डी- [माइनस] 1' दिन को डे अहैड मार्केट बंद होने के समय से कम से कम एक दिन पहले नोटिस दिया है तो तो ऐसे कोई प्रभार लागू नहीं होंगे, यहां "डी" आपातोपयोगी व्यवस्था के लिए, विद्युत के वितरण का दिन है।

परंतु लागू आपातोपयोगी प्रभार उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी के लिए लागू ऊर्जा प्रभारों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।"

[फा. सं. 23/09/2021-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र की संख्या सा.का.नि. 418(अ) तारीख 6 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2023

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.--

(1) These rules may be called the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in sub-rule (2), in clause (C), for sub-clause (a), the following sub-clause, shall be substituted, namely:-

"(a) Any **consumer** may elect to purchase green energy either upto a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;"

3. In the said rules, in rule 8, for proviso, the following provisos, shall be substituted, namely:-

"Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent banking cycles and shall be adjusted during the same banking cycle:

Provided further that the un-utilised surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each banking cycle and the Renewable Energy generating station shall be entitled to get Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy."

4. In the said rules, in rule 9.--

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The charges to be levied on Green Energy Open Access consumers shall be as follows, namely:-

(a) transmission charges;

(b) wheeling charges;

(c) cross subsidy Surcharge;

(d) standby charges wherever applicable;

(e) banking Charge; and

(f) other fees and charges such as Load Despatch Centre fees and scheduling charges, deviation settlement charges as per the relevant regulations of the Commission."

(ii) in sub-rule (2), for third proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a non fossil fuel based Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer:

Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned upto December, 2025 and supplied to the Open Access Consumer."

(iii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The standby charges, wherever applicable, shall be specified by the State Commission and such charges shall not be applicable, if the Green Energy Open Access Consumers have given notice, in advance atleast a day in advance before closure time of the Day Ahead Market on 'D - [minus] 1' day, 'D' being the day of delivery of power for standby arrangement to the distribution licensee:

Provided that the applicable standby charges shall not be more than twenty five per cent of the energy charges applicable to consumer tariff category."

[F. No. 23/09/2021-R&R]
PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 418(E), dated 6th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.27 23:14:55 +05'30'